"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई 2014— श्रावण 4, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-14/2013/1/एक. — छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम, के नियम चार के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अपने निम्नलिखित मंत्रियों के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और/या विभाग की कार्य-सूची के विषय सौंपते हैं :-

स. क्र.	मंत्री का नाम	सौंपे गये विभाग और/या विभाग की कार्य-सूची के विषय
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री	श्रम विभाग
2.	श्री अमर अग्रवाल, मंत्री	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रि-मंडल के सदस्यों के मध्य शेष कार्य विभाजन यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.